अर्द्धशा0 डीजी परिपत्र संख्या- 11 /2013

ए0सी0 शर्मा
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकः लखनऊः अप्रैल 9 ,2013

प्रिय महोदय,

बच्चे देश की अनमोल धरोहर है लेकिन उचित देख-रेख के अभाव में बच्चे या तो अपराधियों के चंगुल में फंस जाते हैं या तो अवैध धन्धों में लगा दिये जाते हैं। बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखने में पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए बच्चों के प्रति पुलिस को अत्यधिक संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। बच्चों के अधिकार, देख-रेख एवं संरक्षण के सम्बन्ध में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 एवं यथा संशोधित 2006 तथा केन्द्रीय नियमावली 2007 बनी है, जिनमें थानें के बाल कल्याण अधिकारी एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई के कर्तव्य वर्णित है। यह अधिनियम उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस परिपत्र के माध्यम से आपको बाल कल्याण अधिकारी एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई के कर्तव्यों से अवगत कराया जा रहा है।

किशोर/बच्चे कौन है ?

जे0जे0 एक्ट 2000 की धारा 2(k) के अनुसार "**Juvenile''or "child" means a person who has not completed 18 years of age.**'' अर्थात वे सभी लड़के या लड़कियॉ जिन्होने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नही की है, सभी बच्चे की श्रेणी में आते है।

बच्चो की श्रेणीः-

पुलिस को दो तरह के बच्चों से सदभावनापूर्वक व्यवहार करना है-

1-अपराध में संलिप्त बच्चे।

2-देखरेख एवं संरक्षण योग्य बच्चे जैसे बेघर, भीख मांगने वाले, शारीरिक एवं मानसिक रूप से रोग ग्रस्त, अवारा, बाल मजदूर, यौन शोषित आदि।

अपराध में संलिप्त किशोर के प्रति पुलिस का व्यवहार एवं कार्यवाही-

- वर्दी के बजाय सादे कपडे में रहेगें।
- बच्चों को हथकड़ी नही पहनायी जायेगी।
- बच्चों को हवालात में बन्द नही किया जायेगा।

- बच्चों से सम्बन्धित सूचना मीडिया को नहीं दी जायेगी।
- आधारभूत सुविधाएं यथाः भोजन, पानी, शौचालय, मेडिकल आदि उपलब्ध करायी जायेगी।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रभारी को तुरन्त सूचना दी जायेगी एवं उनसे समन्वय स्थापित करके सोशल वर्कर को थाने पर किशोर से बात-चीत करने के लिए बुलाएँगें।
- बच्चों के माता-पिता व संरक्षक, परवीक्षा अधिकारी को सूचना दी जायेगी।
- बच्चे का चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा तथा जनपदीय बाल संरक्षण इकाई से सम्पर्क स्थापित कर उनके माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता की सेवायें लेकर बच्चों की सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार करके 24 घण्टे के अन्दर जे0जे0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- यदि थाने का बाल कल्याण अधिकारी अवकाश पर हो तो थानाध्यक्ष किसी अन्य उप निरीक्षक को बाल कल्याण अधिकारी के रूप में नामित करेगा।
- किशोरियों को महिला पुलिस अधिकारी/महिला आरक्षी की अभिरक्षा में रखा जायेगा।
- 07 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई कृत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है । (धारा 82 भादवि)
- 07 वर्ष से अधिक एवं 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा जिसका मानसिक विकास नहीं हुआ है, उसके द्वारा किया गया कोई भी कृत अपराध की श्रेणी में नही आता है। (धारा 83 भादवि)

<u>विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर जिसमें सात वर्ष से कम सजा का प्राविधान है</u>

- जब केवल किशोर या उनका समूह ऐसे अपराध जिसकी सजा 7 वर्ष से कम की हो, उसमें संलिप्त हो तो कोई एफ0आई0आर0 अंकित किया जाना अपेक्षित नहीं है। बच्चे के संबंधित अपराध की विस्तृत आख्या जी0डी0 में प्रविष्टि की जायेगी। (नियम 11 के उपनियम 11)
- ऐसे अपराध जिसकी सजा 7 वर्ष से कम हो तथा उस अपराध में किशोर के साथ कोई वयस्क भी शामिल हो तो एफ0आई0आर0 दर्ज की जायेगी। वयस्क का आरोप पत्र तैयार कर उसको संबंधित न्यायालय में भेजा जायेगा एवं किशोर का सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार कर किशोर न्याय बोर्ड भेजी जायेगी।
- किशोर का किसी भी दशा में ज्वाइंट ट्रायल वयस्क के साथ नही होगा।
- ऐसे अपराध, जिसकी सजा 7 वर्ष से कम है और अपराध तुच्छ प्रकृति के हैं, में लिप्त बच्चे/किशोरों को पुलिस बाल कल्याण अधिकारी बच्चे का सर्वोत्तम हित देखते हुए अपने विवेक से मामले का थाने स्तर पर सुलझाकर पहली बार छोड़ सकते हैं या

वचनबंध/बंधपत्र भरवाकर माता-पिता/संरक्षक के सुपुर्द कर सकते हैं। कृपया नियम 15 का उप-नियम(5) तथा नियम 79 का उप-नियम (7) (क),(ख) व (2) का अवलोकन करें।

विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर जिसमें सात वर्ष से अधिक सजा का प्राविधान है

- ऐसे अपराध जिसकी सजा 7 वर्ष से अधिक हो और उसमें यदि किसी वयस्क के साथ बच्चा शामिल है तो एफ0आई0आर0 अंकित की जायेगी। वयस्क का आरोप पत्र तैयार कर संबंधित न्यायालय भेजा जायेगा। उस आरोप पत्र में किशोर के शामिल होने की सूचना भी संबंधित न्यायालय को जायेगी परन्तु किशोर को उस न्यायालय में नहीं भेजा जायेगा, बल्कि किशोर को आरोप पत्र एवं सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- किशोर की किसी भी दशा में ज्वाइंट ट्रायल वयस्क के साथ नहीं होगा।
- बिना देर किये किशोर/बच्चे का सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार की जायेगी और किशोर को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष 24 घण्टे के भीतर (यात्रा में लगने वाले समय को छोड़कर) प्रस्तुत किया जायेगा। (नियम 11 उपनियम 11)

विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु निर्धारण की प्रक्रिया(नियम 12)

- जब ऐसा प्रतीत हो कि अभिकथित अपराध में व्यक्ति किशोर है परन्तु कोई आयु सम्बन्धी दस्तावेज न होने पर या बार्डर लाइन होने पर एफ0आई0आर0 दर्ज कर ली जायेगी।
- यद्यपि आयु निर्धारण का अंतिम निष्कर्ष किशोर न्याय बोर्ड का है फिर भी पुलिस बाल कल्याण अधिकारी किशोर की आयु की जानकारी हेतु प्राथमिकता के आधार में निम्न का उपयोग करेगे। (नियम 12 उपनियम(3)(क))

(क) (1) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण-पत्र ।
इसके उपलब्ध न होने पर -

(2) पहली बार गया जिस स्कूल में नाम लिखाया हो उस स्कूल का जन्म प्रमाण-पत्र। (प्ले स्कूल को छोड़ कर)
इसके उपलब्ध न होने पर -

(3) नगर-निगम या नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

- राशन कार्ड या जन्म पत्री आयु के ठोस दस्तावेज नहीं माने जायेगें न ही स्वीकार्य किये जायेगें।
- ओपेन स्कूल के सर्टीफिकेट गम्भीर प्रकृति के अपराधों के संदर्भ में मान्य नही होगें।

विभिन्न परिस्थितियों में पाये जाने वाले बच्चे जिन्हे देखरेख व संरक्षक की आवश्यकता है-बाल कल्याण अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही-

- घर से भागे, बेघर, उपेक्षित, अवारा बच्चों की जी0डी0 में प्रविष्टि करके जनपदीय बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। बाल कल्याण समिति के अंतरिम आदेश से निकटस्थ बाल गृह में रखा जायेगा।
- जो बच्चे भीख मांगने वाले, बाल श्रमिक, अनैतिक व्यापार में गिरोह के चंगुल में फँसे रहते हैं उनको बाल कल्याण अधिकारी, श्रम निरीक्षक, श्रम आयुक्त, जिला प्रोवेशन अधिकारी से समन्वय स्थापित करके उन बच्चों की जी0डी0 में प्रविष्ट करके बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। बाल कल्याण समिति के निदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
- यौन हिंसा के शिकार बच्चों का तत्काल मेडिकल कराया जायेगा तथा सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करके विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- बच्चे के माता-पिता/संरक्षक की जानकारी प्राप्त करके सूचना भिजवायेंगे।
- बच्चे का विवरण, फोटो और बरामद सामान का विवरण विशेष किशोर पुलिस इकाई के माध्यम से तत्काल प्रचार-प्रसार मीडिया के माध्यम से कराया जायेगा।
- यदि बच्चा अपने माता-पिता एवं अपने आवास का पता बताने में असमर्थ है तो विशेष किशोर पुलिस इकाई के माध्यम से **http://trackthemissingchild.gov.in/trackchild** और **http://mahilakalyan.up.nic.in** वेबसाइट पर चेक करके बच्चों के बारे में जानकारी करके उनके माता-पिता को सूचना दी जायेगी।
- लावारिश बच्चों को 24 घण्टे के अन्दर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- यदि समिति बैठक में न हो तो समिति के किसी सदस्य के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए।
- आधारभूत सुविधाएं यथा भोजन, पानी, शौचालय, मेडिकल की सुविधा उपलब्ध करायी जाए।

विशेष किशोर पुलिस इकाई-

- प्रत्येक जनपद में विशेष किशोर पुलिस इकाई की स्थापना होगी है, जिसका प्रभारी निरीक्षक होगा, उसके साथ उसके सहवर्ती स्टाफ में एक महिला उपनिरीक्षक, दो आरक्षी (एक महिला, एक पुरूष) होंगें। साथ ही डीसीआरबी के ट्रैक चाइल्ड का प्रशिक्षित कम्प्यूटर आपरेटर इस इकाई से सम्बद्ध/कर्तव्यरत होंगें।
- जनपदीय बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार, विशेष किशोर पुलिस इकाई के लिये दो सामाजिक कार्यकर्ता, जिसमें एक महिला होगी, उपलब्ध करायेगी।

- विशेष किशोर पुलिस इकाई जनपद के सभी थानों में बाल कल्याण अधिकारी, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन, मान्यता प्राप्त एनजीओ के साथ समन्वय स्थापित करेगी।
- बच्चों को सभी प्रकार की क्रूरता, उत्पीड़न तथा शोषण आदि से विधिक संरक्षक के रूप में समन्वय का कार्य करेगी।
- अपने जनपद के सभी थानों में तैनात बाल कल्याण अधिकारी से सम्बन्धित प्रपत्र पर मासिक अद्यतन स्थिति का रिकार्ड रखेगी, हर तीन माह में थानों के कार्यों की समीक्षा करके सुधार का निर्देश देगी।
- प्रत्येक जनपद के डीसीआरबी द्वारा उक्त साफ्टवेयर में गुमशुदा बच्चों की जानकारी सीधे upload करेगें एवं आवश्यक सूचनाओं की डाटा इन्ट्री करने हेतु व्यक्तिगत ध्यान देगें।
- जनपद में गुम होने वाले बच्चों की विवेचना की समीक्षा करके सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करायेंगे और उनकी बरामदगी कराने का सतत प्रयास करेगें।

<u>पुलिस अधीक्षक की भूमिका</u>

- प्रत्येक जनपद के विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रभारी पुलिस अधीक्षक होंगें, जो मासिक गोष्ठी में उपरोक्त बिन्दुओं के अनुपालन के सम्बन्ध में समीक्षा करेंगें तथा गुमशुदा बच्चों की समीक्षा करके उनके बरामदगी का प्रयास करायेगें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(ए0सी0 शर्मा) 5.4.13

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद(नाम से)
<u>उत्तर प्रदेश।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।